

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2। नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 198  
No. 2। NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935 | N.C.T.D. No. 198

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

सं. फा. 17(202)/इंजीनियरिंग/दि.वि.वि.आ./2012-13/4192.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 (एतदपश्चात् मूल विनियमों के रूप में उल्लिखित), में संशोधित करने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को बनाता है :

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभन:

1.1 ये विनियमन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 कहे जाएंगे।

1.2 ये विनियमन सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

## 2. मूल विनियमों के विनियमन क7 में संशोधन:

मूल विनियमन के ऊर्जा प्रभार विनियमन क7 की धारा 7.18 (ख) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक जोड़े गए हैं :

परन्तु यह कि उत्पादन कम्पनी उत्पादन केन्द्र के लाभार्थियों को इन विनियमों के लिए बहुवर्षीय प्रशुल्क प्रारूपों के प्रपत्र सं. एफ 27 (ऊर्जा प्रभार के लिए ईंधन के संबंध में जानकारी) के अनुसार सकल कैलोरीफिक मान (जीसीवी) के मापदण्ड और ईंधन यानी घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, प्राकृतिक गैस, आर.एल.जी.एन. तरल ईंधन आदि की कीमत का विवरण प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि आयातित कोयले के साथ घरेलू कोयले के सम्मिश्रण के पर्याप्त अनुपात, ई-नीलामी कोयले का अनुपात और ईंधन की प्राप्त भारित औसत सकल कैलोरीफिक मान (जीसीवी) का अलग से विवरण संबंधित माह के बिल के साथ उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह और कि बिल की प्रतियां और औसत सकल कैलोरीफिक मान (जीसीवी) के मापदण्ड और ईंधन के मूल्य का ब्यौरा जैसे घरेलू कोयला आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, प्राकृतिक गैस आर.एल.जी. एन., तरल ईंधन आदि घरेलू कोयला के साथ आयातित कोयले के सम्मिश्रण का अनुपात का ब्यौरा, ई-नीलामी के समानुपात का विवरण उत्पादन कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मासिक आधार पर विवरण अपनी वेबसाइट पर तीन माह की अवधि के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

जयश्री रघुरमन, सचिव



## DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

## NOTIFICATION

Delhi, the 18th December, 2013

**Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2013**

No. F. 17(202)/Engg./DERC/2012-13/4192.—In exercise of powers vested under section 181 of the Electricity Act, 2003 the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), as follows:

**1. Short title and commencement**

1.1 These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Generation Tariff) (First Amendment) Regulations, 2013.

1.2 These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of Regulation A7 of Principal Regulations :**

The following provisos shall be added under Clause 56 of Energy Charge of regulation A7 of the Principal Regulation as under, namely:—

Provided that generating company shall provide to the beneficiaries of the generating station the details of parameters of Gross calorific value (GCV) and price of fuel i.e. domestic coal, imported coal, e-auction coal, natural gas, RLNG, liquid fuel etc., as per the Form No. F27 (information in respect of fuel for Energy Charges) of the MYT formats to these regulations:

Provided further that the details of blending ratio of the imported coal with domestic coal, proportion of e-auction coal and the weighted average Gross Calorific Value (GCV) of the fuels as received shall also be provided separately, along with the bills of the respective month:

Provided further that copies of the bills and details of parameters of Gross Calorific Value (GCV) and price of fuel i.e. domestic coal, imported coal, e-auction coal, natural gas, RLNG, liquid fuel etc., details of blending ratio of the imported coal with domestic coal, proportion of e-auction coal shall also be displayed on the website of the generating company. The details should be available on its website on monthly basis for a period of three months.

JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.